अध्याय-2

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय निष्पादन

अध्याय 2

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय निष्पादन

2.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2020 को नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) थे जिनमें 23 सरकारी कंपनियां, दो सांविधिक निगम और छः सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

इनमें से 25 एस.पी.एस.ई. का वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और इन एस.पी.एस.ई. की प्रकृति तालिका 2.1 में इंगित की गई है:

तालिका 2.1: इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए एस.पी.एस.ई. की कवरेज और प्रकृति

एस.पी.एस.ई. की प्रकृति	कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल किए गए एस.पी.एस.ई. की संख्या						प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए एस.पी.एस.ई. की संख्या
		तक के लेखे					कुल	
		2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16		
सरकारी कंपनियां	23	5	7	5	2	1	20	3
सांविधिक निगम	2	0	2	0	0	0	2	0
सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां	6	1	1	1	0	0	3	3
कुल	**31**	**6**	**10**	**6**	**2**	**1**	**25**	**6**

2019-20 के दौरान नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा के दायरे में सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों और सांविधिक निगमों के विवरण ***परिशिष्ट // ए*** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में छः एस.पी.एस.ई. (सरकार नियंत्रित तीन अन्य कंपनियों सहित) के परिणाम शामिल नहीं हैं, जो निष्क्रिय/परिसमापनाधीन थे या जिनके पहले लेखे प्राप्त[1] नहीं हुए थे। शेष 25 एस.पी.एस.ई. के संबंध में आंकड़े 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त उनके नवीनतम लेखाओं पर आधारित हैं।

एस.पी.एस.ई. को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए एस.पी.एस.ई. की स्थिति को इन विभागों (क्षेत्रों) के अनुसार विभाजित और विश्लेषित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल एस.पी.एस.ई. के वित्तीय निष्पादन का सार:

एस.पी.एस.ई. की संख्या	31
शामिल किए गए एस.पी.एस.ई.	25
प्रदत्त पूंजी (25 एस.पी.एस.ई.)	₹ 708.16 करोड़
हरियाणा सरकार का इक्विटी निवेश (20 एस.पी.एस.ई.)	₹ 590.20 करोड़
दीर्घावधि ऋण (6 एस.पी.एस.ई.)	₹ 6,026.63 करोड़

[1] इन छः एस.पी.एस.ई. की पहचान ***परिशिष्ट // ए*** में दो ताराचिह्नों (**) द्वारा की गई है।

निवल लाभ (17 एस.पी.एस.ई.)	₹ 335.26 करोड़
निवल हानि (8 एस.पी.एस.ई.)	₹ 38.10 करोड़
घोषित लाभांश (3 एस.पी.एस.ई. द्वारा)	₹ 6.52[2] करोड़
कुल परिसंपत्तियां	₹ 38,623.53 करोड़
टर्नओवर[3]	₹ 4,814.19 करोड़
निवल मूल्य	₹ 2,443.55 करोड़

स्रोत: एस.पी.एस.ई. के वार्षिक वित्तीय विवरण पर आधारित संकलन।

2.2 एस.पी.एस.ई. में निवेश

इन एस.पी.एस.ई. की स्थिति को उन विभागों के आधार पर प्रमुख वर्गीकरणों के अंतर्गत विभाजित और विश्लेषित किया गया है जिनके अधीन वे काम करते हैं। 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर 25 एस.पी.एस.ई. में इक्विटी और ऋण में निवेश की राशि तालिका 2.2 में दी गई है:

तालिका 2.2: 25 एस.पी.एस.ई. में इक्विटी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2019 को			31 मार्च 2020 को		
	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
केंद्र सरकार	22.74	0	22.74	27.64	0	27.64
राज्य सरकार	585.10	332.83	917.93	590.20	332.83	923.03
केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियां	15.02	291.58	306.60	15.09	291.58	306.67
अन्य	75.20	5,402.22	5,477.42	75.23	5,402.22	5,477.45
कुल	**698.06**	**6,026.63**	**6,724.69**	**708.16**	**6,026.63**	**6,734.79**
कुल इक्विटी/ऋण में राज्य सरकार का हिस्सा (प्रतिशत में)	83.82	5.52	13.65	83.34	5.52	13.71

स्रोत: एस.पी.एस.ई. के वार्षिक वित्तीय विवरण पर आधारित संकलन।

हरियाणा सरकार (जी.ओ.एच.) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में एस.पी.एस.ई. को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2020 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान एस.पी.एस.ई. के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/परिदान, बट्टे खाते डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के लिए बजटीय निर्गम का सारांशित विवरण निम्नानुसार हैं:

[2] वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (₹ 0.40 करोड़); वर्ष 2018-19 के लिए हरियाणा राज्य भंडारण निगम (₹ 6.05 करोड़) और हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.07 करोड़)।

[3] किसी कंपनी के निवल मूल्य की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है।

तालिका 2.3: वर्षों के दौरान एस.पी.एस.ई. को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[4]	2017-18		2018-19		2019-20	
	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी निर्गम (i)	4	7.71	5	25.44	6[5]	13.78
दिए गए ऋण (ii)	-	-	1	8.15	-	-
प्रदान किए गए अनुदान/परिदान (iii)	9	188.60	8	358.36	9	142.72
कुल निर्गम (i+ii+iii)		**196.31**		**391.95**		**156.50**
ऋण पुनर्भुगतान/बट्टे खाते डाले गए[6]	-	-	1	215.15	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
जारी की गई गारंटियां	3	2,030.52	4	1,071.81	3	569.46
प्रतिबद्ध गारंटियां	5	3,351.48	5	4,359.35	5	4,264.29

स्रोत: एस.पी.एस.ई. से प्राप्त सूचना पर आधारित संकलन।

2.2.1 इक्विटी में निवेश

31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान इन एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार और अन्य (भारत सरकार सहित) द्वारा इक्विटी में निवेश चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: एस.पी.एस.ई. में इक्विटी में निवेश

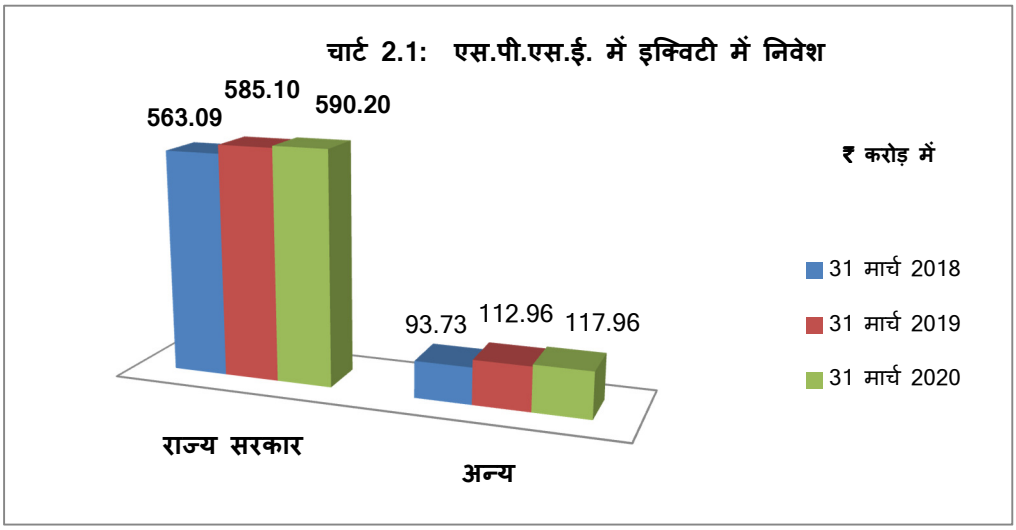

इन एस.पी.एस.ई. की प्रदत्त पूंजी में 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार द्वारा इक्विटी पूंजी में किए गए महत्वपूर्ण निवेशों (₹ 25 करोड़ से अधिक का निवेश) का विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है:

4 राशि केवल राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

5 हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड (₹ 2.92 करोड़), हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (₹ 3.70 करोड़), करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड: (₹ 0.05 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.01 करोड़) हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 5.10 करोड़) और हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (₹ 2.00 करोड़)।

6 यह हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड के संबंध में बट्टे खाते में डाले गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है और ऋण चुकौती शून्य है।

तालिका 2.4: राज्य सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश

(₹ करोड़ में)

एस.पी.एस.ई. का नाम	विभाग का नाम	राशि
हरियाणा वित्तीय निगम	उद्योग	202.01
हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	122.04
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	48.86
हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	45.14
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	पर्यटन और जनसंपर्क	34.07
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.14

2.2.2 एस.पी.एस.ई. को दिए गए ऋण

2.2.2.1 31 मार्च 2020 तक बकाया दीर्घावधि ऋण की गणना

31 मार्च 2020 तक सभी स्रोतों से छः एस.पी.एस.ई. में कुल बकाया दीर्घावधि ऋण ₹ 6,026.63 करोड़ था। 31 मार्च 2020 तक एस.पी.एस.ई. के कुल ऋणों में से राज्य सरकार से ऋण ₹ 332.83 करोड़ था। एस.पी.एस.ई. के बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: एस.पी.एस.ई. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में बकाया दीर्घावधि ऋण

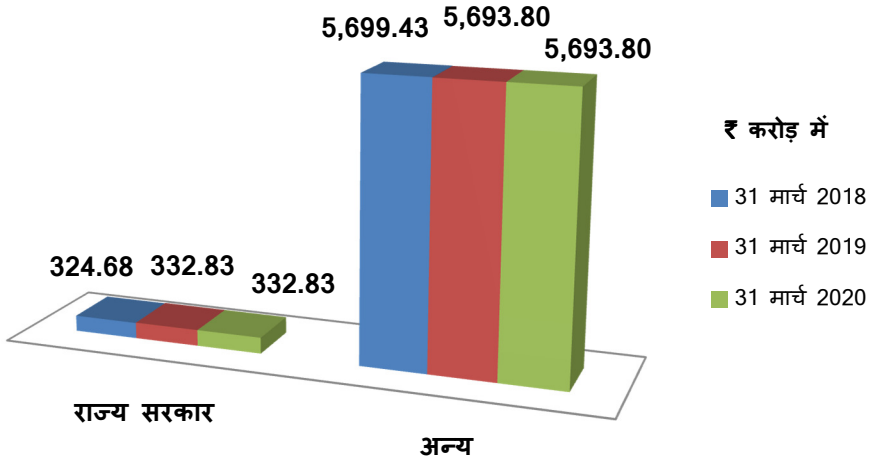

25 एस.पी.एस.ई. में से 19 एस.पी.एस.ई. (एक सांविधिक निगम अर्थात् हरियाणा वित्तीय निगम सहित) के पास 31 मार्च 2020 तक कोई दीर्घावधि ऋण नहीं था। कुल ऋणों में एच.एस.आई.आई.डी.सी. की हिस्सेदारी ₹ 5,637.41 करोड़ थी।

2.2.2.2 ऋण देयताओं को वहन करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों में से कुल ऋण का अनुपात, यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई कंपनी दिवालिया बनी रह सकती है। दिवालिया माने जाने के लिए एक इकाई की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/उधारों की राशि से अधिक होना चाहिए। छः एस.पी.एस.ई., जिनके पास 31 मार्च 2020 तक ऋण बकाया था, में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य द्वारा दीर्घावधि ऋणों का कवरेज तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: कुल संपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋणों का कवरेज

एस.पी.एस.ई. की प्रकृति	सकारात्मक कवरेज			
	एस.पी.एस.ई. की संख्या	परिसंपत्तियां	दीर्घावधि ऋण	ऋणों से परिसंपत्तियों का अनुपात
	(₹ करोड़ में)			
सांविधिक निगम	1	2,650.30	78.60	33.72:1[7]
सरकारी कंपनी	5	33,374.41	5,948.03	5.61:1
कुल	**6**	**36,024.71**	**6,026.63**	**5.98:1**

स्रोत: एस.पी.एस.ई. के वार्षिक वित्तीय विवरण पर आधारित संकलन।

किसी भी एस.पी.एस.ई. में कुल परिसंपत्ति का मूल्य बकाया ऋणों से कम नहीं था। प्रमुख योगदानकर्ता हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड है, जिसके पास ₹ 31,827.48 करोड़ की संपत्ति के विरूद्ध ₹ 5,637.41 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण है।

2.2.2.3 ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात (आई.सी.आर.) का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज खर्चों द्वारा एक कंपनी की आय को ब्याज और करों (ई.बी.आई.टी.) से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, उधार पर ब्याज का भुगतान करने में कंपनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम आई.सी.आर. इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व सृजित नहीं कर रही थी। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान एस.पी.एस.ई. के सकारात्मक और नकारात्मक आई.सी.आर. के विवरण तालिका 2.6 में दिए गए हैं।

तालिका 2.6: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज	ई.बी.आई.टी.	एस.पी.एस.ई. की संख्या	1 के बराबर या इससे अधिक आई.सी.आर. वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या	1 से कम आई.सी.आर. वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या
	सांविधिक निगम				
2017-18	5.15	72.10	2	1	1[8]
2018-19	4.41	66.02	1	1	0
2019-20	4.41	66.02	1	1	0
	सरकारी कंपनियां				
2017-18	768.44	1,117.44	9	7	2[9]
2018-19	767.05	1,095.42	8	6	2[10]
2019-20	767.27	1,095.63	8	6	2[11]

[7] हरियाणा राज्य भंडारण निगम खरीद का काम करता है, जहां शेष स्टॉक इसकी संपत्ति है।

[8] हरियाणा वित्तीय निगम।

[9] हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

[10] हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

[11] हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

2.2.3 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

31 मार्च 2020 तक सरकार द्वारा नियंत्रित तीन[12] अन्य कंपनियों में राज्य सरकार और अन्य द्वारा निवेश की गई पूंजी को चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी की संरचना (₹ करोड़ में)

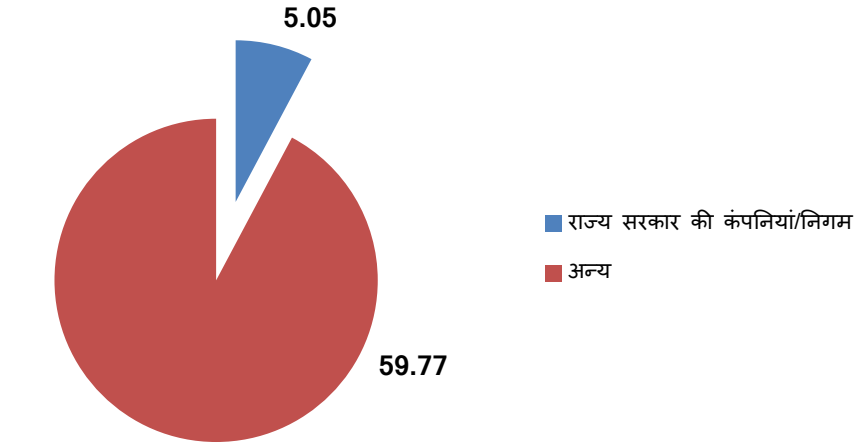

2.3 एस.पी.एस.ई. में निवेश पर रिटर्न

2.3.1 एस.पी.एस.ई. द्वारा अर्जित लाभ

इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) वित्तीय निष्पादन का एक उपाय है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन, लाभ कमाने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शेयरधारकों की निधि द्वारा निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है, यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्या हैं।

शेयरधारकों की निधि या किसी कंपनी के निवल मूल्य की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेची गई और सभी ऋणों का भुगतान किया गया तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। एक सकारात्मक शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

31 दिसंबर 2020 को उपलब्ध नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या 25 में से 17 थी। इन 17 एस.पी.एस.ई. का रिटर्न ऑन इक्विटी (आर.ओ.ई.) 14.56 प्रतिशत था। हालांकि, सभी 25 एस.पी.एस.ई. में आर.ओ.ई., जिसमें छ:[13] को घाटा हुआ था, 2019-20 में 12.16 प्रतिशत था। 2017-18 से 2019-20 की

---

[12] गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड।

[13] दो एस.पी.एस.ई. (हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड) को न तो लाभ हुआ और न ही हानि।

अवधि के दौरान लाभ की सूचना देने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या और उनका आर.ओ.ई. चार्ट 2.4 में दर्शाई गई है:

चार्ट 2.4: विगत 3 वर्षों के दौरान लाभ अर्जित कर रहे एस.पी.एस.ई. की संख्या और उनका आर.ओ.ई.

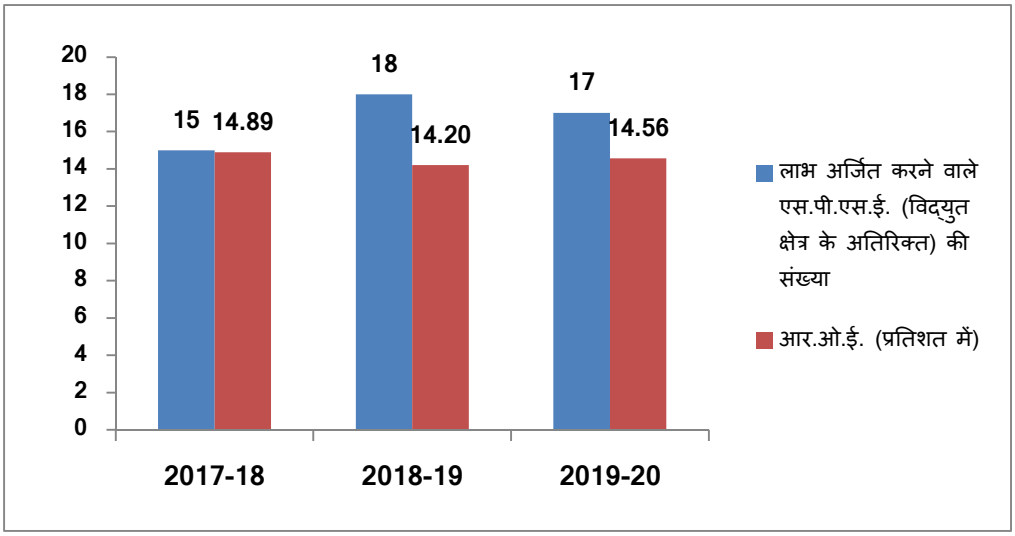

2019-20 के दौरान अपने नवीनतम अंतिम परिणामों के अनुसार अधिकतम लाभ देने वाले तीन क्षेत्रों का विवरण तालिका 2.7 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 2.7: शीर्ष तीन क्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2019-20 के दौरान अधिकतम लाभ दिया

क्षेत्र	लाभ अर्जित कर रहे एस.पी.एस.ई. की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल एस.पी.एस.ई. लाभ में लाभ की प्रतिशतता
उद्योग	2	222.35	66.32
कृषि	4	48.29	14.40
लोक निर्माण	1	20.41	6.09
कुल	**7**	**291.05**	**86.81**

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य तीन कंपनियों में से एक कंपनी (गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड[14]) ने ₹ 7.06 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इस एस.पी.एस.ई. में आर.ओ.ई. 16.62 प्रतिशत था। सरकार नियंत्रित अन्य तीन कंपनियों में आर.ओ.ई. (-) 11.98 प्रतिशत था।

एस.पी.एस.ई. की सूची, जिन्होंने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया, तालिका 2.8 में दी गई है:

तालिका 2.8: ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	निवल लाभ
1	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	216.34
2	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	40.32
3	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	20.41
4	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	16.07
	कुल	**293.14**

[14] कंपनी का स्वामित्व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास है, जिसके पास कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 99.996 प्रतिशत है।

इन चार एस.पी.एस.ई. ने 2019-20 के दौरान 17 एस.पी.एस.ई. द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 335.26 करोड़) का 87.44 प्रतिशत योगदान दिया।

2.3.2 एस.पी.एस.ई. द्वारा दिया गया लाभांश

वर्ष 2019-20 के लिए छः एस.पी.एस.ई. ने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिनमें से दो एस.पी.एस.ई. ने ₹ 9.31 करोड़ का लाभ अर्जित किया, लेकिन उन्होंने कोई लाभांश घोषित नहीं किया। हालांकि, वर्ष 2018-19 के लिए, तीन एस.पी.एस.ई. (हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड) ने ₹ 47.33 करोड़ के निवल लाभ के विरूद्ध ₹ 6.52 करोड़ का लाभांश घोषित किया था। घोषित लाभांश उनकी प्रदत्त पूंजी के 8 प्रतिशत से 103.60 प्रतिशत के मध्य था।

2.3.3 एस.पी.एस.ई. की इक्विटी पर क्षेत्रवार रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.)[15] शेयरधारकों की इक्विटी द्वारा निवल आय को विभाजित करके गणना किए गए एस.पी.एस.ई. के वित्तीय निष्पादन का एक मापांकन है। 31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान एस.पी.एस.ई. के क्षेत्रवार आर.ओ.ई. को तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: इक्विटी पर क्षेत्रवार रिटर्न

क्र. सं.	क्षेत्र	2017-18 के दौरान आर.ओ.ई.	2018-19 के दौरान आर.ओ.ई.	2019-20 के दौरान आर.ओ.ई.
1	कृषि	-74.45	- 74.05	- 78.37
2	इलेक्ट्रॉनिक्स	11.24	14.32	14.32
3	वित्त	-	0.99	0.99
4	वन	1.27	5.35	5.35
5	उद्योग	12.28	12.84	12.84
6	लोक निर्माण	9.29	7.38	6.98
7	सामाजिक एवं कल्याण	10.80	10.80	10.80
8	पर्यटन	-35.95	-35.95	-35.95
9	नगर एवं ग्राम आयोजना	2.97	-14.97	-8.65
10	परिवहन	10.39	-28.48	-42.65
11	गृह	-6.03	-6.03	-6.03
12	स्वास्थ्य	37.05	37.05	37.05

2.4 हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई.

विगत तीन वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई. के विवरण तालिका 2.10 में दिए गए हैं।

[15] इक्विटी पर रिटर्न = (कर और वरीयता लाभांश/इक्विटी के बाद शुद्ध लाभ) * 100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 2.10: विगत तीन वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या

वर्ष	हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या	वर्ष में निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित लाभ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य[16] (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम				
2017-18	1	4.45	(-)113.51	94.15
2018-19	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-
सरकारी कंपनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां				
2017-18	7	18.54	12.09	82.71
2018-19	6	37.43	3.60	116.47
2019-20	6	38.10	-2.55	140.21
कुल				
2017-18	**8**	**22.99**	**(-)101.42**	**176.86**
2018-19	**6**	**37.43**	**3.60**	**116.47**
2019-20	**8**	**38.10**	**-2.55**	**140.21**

आठ एस.पी.एस.ई. द्वारा 2019-20 के दौरान उठाई गई ₹ 38.10 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 29.45 करोड़ की हानि के लिए दो एस.पी.एस.ई. को उत्तरदायी ठहराया गया था जो नगर एवं ग्राम आयोजना और पर्यटन क्षेत्रों में कार्यरत थे। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (₹ 15.15 करोड़) के अंतर्गत गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड और हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (₹ 14.30 करोड़) अपने नवीनतम अंतिम वित्तीय परिणामों के अनुसार नुकसान की रिपोर्ट करने वाले दो एस.पी.एस.ई. थे। इन एस.पी.एस.ई. के अतिरिक्त, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 5.69 करोड़ की हानि की सूचना दी।

2.4.1 एस.पी.एस.ई. में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2020 तक ₹ 249 करोड़ की संचित हानि वाले सात एस.पी.एस.ई. थे। सात एस.पी.एस.ई. में से तीन एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2019-20 में ₹ 16.92 करोड़ की हानि उठाई और चार एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2019-20 में कोई हानि नहीं उठाई, यद्यपि उनकी संचित हानि ₹ 231 करोड़ थी। 31 एस.पी.एस.ई. में से चार बंद होने/परिसमापन के अधीन/निष्क्रिय थे।

25 एस.पी.एस.ई. में से एक, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) का निवल मूल्य इसकी संचित हानि से पूरी तरह नष्ट हो गया था। 31 मार्च 2020 तक एच.ए.आई.सी. में ₹ 4.14 करोड़ के इक्विटी निवेश के विरुद्ध इसका निवल मूल्य (-) ₹ 117.71 करोड़ था।

2.5 एस.पी.एस.ई. की परिचालन क्षमता

2.5.1 टर्नओवर

तीन वर्षों[17] की अवधि में 24 एस.पी.एस.ई. का टर्नओवर, कुल परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी को इंगित करने वाला सार चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है:

[16] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी एवं मुक्त संचय और अधिशेष घटा संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग। मुक्त संचय का अर्थ है, लाभ एवं शेयर प्रीमियम लेखा से सृजित सभी संचय।

[17] उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार।

चार्ट 2.5: टर्नओवर, कुल परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी

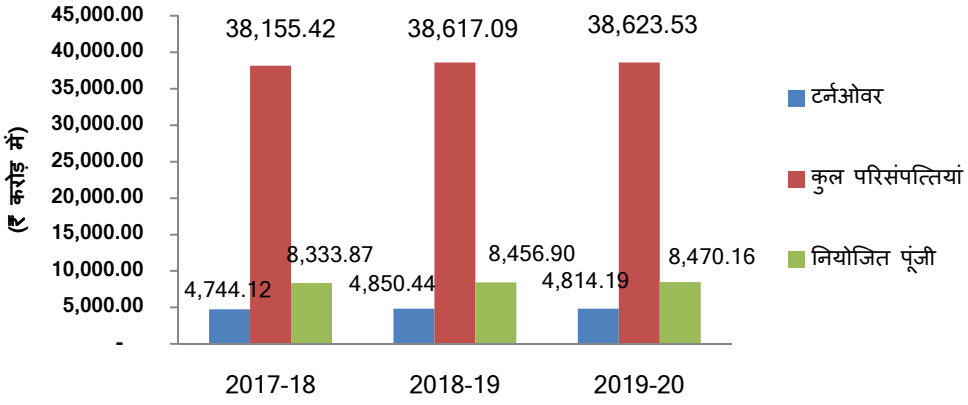

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल संपत्ति और नियोजित पूंजी में मामूली वृद्धि हुई थी। हालांकि, 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान टर्नओवर में मामूली कमी आई।

अपर मुख्य सचिव (वित्त) के साथ एग्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2021) के दौरान परिसंपत्तियों के उत्पादक उपयोग को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में मूल्यांकन किया गया था।

2.5.2 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसमें इसकी पूंजी नियोजित है। आर.ओ.सी.ई. की गणना ब्याज और करों (ई.बी.आई.टी.) से पहले कंपनी की आय को नियोजित पूंजी[18] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 25 एस.पी.एस.ई. के आर.ओ.सी.ई. के विवरण तालिका 2.11 में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आर.ओ.सी.ई. (प्रतिशत में)
2017-18	1188.43	8,333.87	14.26
2018-19	1177.39	8456.90	13.92
2019-20	1185.56	8470.16	14.00

2.5.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना 23 एस.पी.एस.ई. के संबंध में की गई है जहां निवेशों के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में इन एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेशों के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/हानि की दर के निर्धारण के लिए राज्य सरकार ने इक्विटी/अनुदान/सब्सिडी में निवेश किया है। 31 मार्च 2020 तक प्रत्येक वर्ष के अंत तक निवेशों की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य तक लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन एस.पी.एस.ई. में निवेश किए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार निधियों को राज्य सरकार की

[18] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

प्रतिभूतियों पर वर्ष-वार भारित औसत ब्याज दर पर चक्रवृद्धित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना गया है।

एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश के पी.वी. की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- राज्य सरकार द्वारा एस.पी.एस.ई. में इक्विटी के रूप में वास्तविक निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा एस.पी.एस.ई. को दिए गए अनुदान/सब्सिडी (परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए) को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।
- उन मामलों में जहां एस.पी.एस.ई. को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से काट लिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की गई लागत को प्रदर्शित करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है।

राज्य सरकार के निवेश की पी.वी. गणना के उद्देश्य से 1999-2000 से 2019-20 तक की अवधि को 31 मार्च 2000 को एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश पर विचार करते हुए 2000-01 के आरंभ में राज्य सरकार के निवेश के पी.वी. के रूप में लिया गया है।

ऐसे हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई. के निष्पादन का और अधिक सटीक माप हानियों के कारण निवल मूल्य का क्षरण है। कंपनियों की पूंजी के क्षरण पर टिप्पणी पैरा 2.4.1 में की गई है।

23 एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश के विवरण, जहां 1999-2000 से 2019-20 तक इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में निवेश किया गया था, ***परिशिष्ट II बी*** में इंगित किए गए हैं (ब्याज मुक्त ऋण और विनिवेश के कोई मामले नहीं थे)। एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के ऐसे निवेश के पी.वी. की समेकित स्थिति तालिका 2.12 में इंगित की गई है:

तालिका 2.12: राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश के वर्षवार विवरण और 1999-2000 से 2019-20 तक इसका वर्तमान मूल्य (पी.वी.)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5=3+4	6=2+5	7	8=(6x7/100)+6	9	10	(11)=(10)/(8)x100
1999-2000 तक		164.22[19]	49.95	214.17	214.17	12.05	239.98	25.81	8.96	3.73

[19] ₹ 164.22 करोड़ वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आरंभ में हरियाणा सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश है।

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5=3+4	6=2+5	7	8=(6x7/100)+6	9	10	(11)=(10)/(8)x100
2000-01	239.98	45.48	73.50	118.98	358.96	11.4	399.88	40.92	-0.22	-
2001-02	399.88	21.04	98.18	119.22	519.10	10.5	573.60	54.51	7.83	1.37
2002-03	573.60	28.04	66.87	94.91	668.52	10.74	740.31	71.80	10.22	1.38
2003-04	740.31	11.51	16.19	27.70	768.01	10.2	846.35	78.34	-2.92	-
2004-05	846.35	2.48	22.04	24.52	870.87	8.49	944.81	73.94	2.84	0.30
2005-06	944.81	57.78	31.59	89.37	1,034.18	8.95	1,126.74	92.56	49.76	4.42
2006-07	1,126.74	12.16	25.90	38.06	1,164.80	9.2	1,271.96	107.16	-25.97	-
2007-08	1,271.96	72.07	83.03	155.10	1,427.05	7.43	1,533.08	106.03	-81.43	-
2008-09	1,533.08	95.92	67.39	163.31	1,696.39	7.82	1,829.05	132.66	176.34	9.64
2009-10	1,829.05	4.98	41.96	46.94	1,875.99	9.29	2,050.27	174.28	54.25	2.65
2010-11	2,050.27	6.41	98.80	105.21	2,155.48	9.22	2,354.22	198.74	138.45	5.88
2011-12	2,354.22	21.28	167.40	188.68	2,542.90	9.73	2,790.32	247.42	98.15	3.52
2012-13	2,790.32	-21.98	61.71	39.73	2,830.05	9.86	3,109.09	279.04	123.25	3.96
2013-14	3,109.09	2.93	94.88	97.81	3,206.90	9.83	3,522.14	315.24	-93.65	-
2014-15	3,522.14	8.82	153.74	162.56	3,684.70	9.33	4,028.49	343.78	805.82	20.00
2015-16	4,028.49	19.10	183.91	203.01	4,231.50	8.64	4,597.10	365.60	237.61	5.17
2016-17	4,597.10	3.10	307.48	310.58	4,907.68	8	5,300.29	392.61	71.59	1.35
2017-18	5,300.29	7.87	176.82	184.69	5,484.98	8.1	5,929.26	444.28	116.29	1.96
2018-19	5,929.26	25.44	331.90	357.34	6,286.60	8.81	6,840.45	553.85	272.46	3.98
2019-20	6,840.45	13.78	11.15	24.93	6,865.38	8.31	7,435.89	570.51	327.77	4.41
कुल		**602.43**	**2,164.39**	**2,766.82**						

वर्ष 2019-20 के अंत में इन एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य 1999-2000 में ₹ 239.98 करोड़ से बढ़कर ₹ 7,435.89 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी के रूप में ₹ 438.21 करोड़ तथा परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए अनुदानों/सब्सिडी में ₹ 2,164.39 करोड़ की राशि का और निवेश किया। इन एस.पी.एस.ई. में वर्ष 2008-09 और 2014-15 को छोड़कर सभी वर्षों के लिए कुल आय निवेशित निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से कम रही। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2019-20 में, वर्तमान मूल्य पर निवेश पर रिटर्न 1.96 प्रतिशत से बढ़कर 4.41 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत[20] के आधार पर निवेश पर रिटर्न 4.88 और 11.85 प्रतिशत के मध्य रहा।

[20] एक वर्ष के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत, परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा डाली गई कुल राशि है।